संरक्षित वन भूमि घोषित किये जाने का गजट (शासनादेश)

[illegible] १९५६

[illegible] का प्रयोग करने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित [illegible] के अधिकारों का उक्त क्षेत्र के [illegible] के लिये अधिकृत करते हैं जब कि वे [illegible] अपनी जगह अधिकार के पद पर नियुक्त रहें :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम		जिला
१	श्री सम्पत प्रसाद	...	बनारस।
२	" त्रिलोक सिंह	...	इलाहाबाद।
३	" इंतजार हुसैन	...	मांडे।
४	" दीनानाथ शर्मा	...	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५६ ई०

सं० ५९२१/१-अ-२०६-फ-[illegible] एक्टोनिमिश एक्ट, १८९४ (१८९४ अधिनियम १० १८९४) की धारा ३ के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय श्री [illegible] को उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत जिला बारी में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

वन-विभाग

मुद्रा

[illegible] अगस्त, १९५९ ई०

सं० [illegible] (१)-[illegible] को उक्त [illegible] १९५५ ई० के [illegible] को [illegible] १९५४ ई० [illegible] मुद्रा [illegible] करने की [illegible]

निदेश

२४ अगस्त, १९५९ ई०

सं० [illegible] (२)/१४—६०(१)-५२—कार्यालय [illegible] श्री [illegible] के स्थान पर, जिनकी छुट्टी हो गई है, स्थानापन्न [illegible] बाक कारखाना, कालगढ़ कारेट डिवीजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०४/१४—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) के धारा २३ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचना जारी करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उक्त धारा में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब उक्त उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक भाग द्वारा तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा [illegible] उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु आज्ञा देते और अभिलेख तैयार होने तक उक्त भूमि के संबंध में [illegible] अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रमांक संख्या	भूमि का नाम जो सारणीय वन क्षेत्र परिसीमन ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	लम्बाई मीलों में			सीमा का वर्णन
			मी०	फ०	फी०	
१	[illegible] रोड० मील ३६२/० से [illegible] मील ६६३/० तक	कानपुर	७१	•	•	[illegible] की [illegible] या [illegible] द्वारा [illegible] पर की गई है।
२	[illegible]	"	४४	•	•	"
३	कानपुर-[illegible] सड़क, [illegible]	"	२०	•	•	"
४	[illegible]	"	५४	•	•	
५	[illegible] मील [illegible] से [illegible] मील ४५/१-६४०	[illegible]	४६	२	६४०	"
६	[illegible] मील तक	[illegible]	१६२	•	•	"
७	[illegible]—बरेली [illegible] मील /० से [illegible] मील [illegible] तक	[illegible] बरेली				"
८	[illegible]-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से [illegible] मील १०५/० तक	[illegible] रायबरेली, [illegible]	१०८	•	•	"
९	[illegible]-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से [illegible] मील [illegible] २२४ फीट तक.	[illegible] रायबरेली, [illegible] और सुल्तानपुर	०५	१	२२४	"
१०	[illegible]-[illegible] सड़क, मील /० से [illegible] मील [illegible] १६९ फीट तक	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"

(D. V. SINGH)
Executive Engineer
Ty. Division (N.H.), P.W.D.
Sultanpur (U.P.)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]